न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का डेरोली बनाम राजेन्द्र

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- RA/2018/89 निर्णय दिनांक :- 31.12.18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मोती का नांगला की आराजी नं. 338 कुल रकबा 0-14 किस्म जमीन गैरमुमकिन रास्ता में से 0-01 रकबे पर श्री राजेन्द्र S/o हैतराम मीणा पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर छप्पर-मिट्टी डालकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का डेरोली द्वारा दिनांक 9/XI/18 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. खेड़लीरेल के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी राजेन्द्र S/o हैतराम जाति मीणा निवासी मोती का नांगला को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 338 रकबा 0-14 में से 0-01 रकबे किस्म गैरमुमकिन रास्ता है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा अतिक्रमी को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 64 paise का 50 गुणा 32/- (बत्तीस) रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी डेरोली भू.अ.निरी. खेड़लीरेल .... को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)

प्रतिलिपि :- प. ह.

पृष्ठ 78 क्रम सं. 2
वर्ष 2018-19 राशि रु. 32/-
की कायमी की गई
(हस्ताक्षर) 11/3/19

कठूमर (अलवर) राज.